भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 95

05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

मुंबई महानगर क्षेत्र तथा पुणे क्षेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी

†*95. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) तथा पुणे क्षेत्र में कुल कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं, कितने आवासों का निर्माण आरंभ किया गया तथा कितने आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है;

(ख) मुंबई क्षेत्र में ऋण-संबद्ध राजसहायता योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत व्याज संबंधी राजसहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों को सम्मानजनक जीवन-यापन परिस्थितियां प्रदान करने के लिए किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) संबंधी योजना की स्थिति क्या है;

(घ) मुंबई को मलिन बस्ती मुक्त बनाने के लिए मलिन बस्तियों के तत्स्थानिक पुनर्विकास हेतु केन्द्रीय सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) किफायती आवास परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन के अंतर्गत आधुनिक वैश्विक आवास प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए सरकार की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"मुंबई महानगर क्षेत्र तथा पुणे क्षेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी" के संबंध में दिनांक 05-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया गया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने में मदद मिल सके। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों को https://pmay-urban.gov.in पर देखा जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख आवासों सहित कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। 22.01.2026 तक इनमें से 114.84 लाख आवासों का निर्माण शुरू किया गया है और 97.02 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। 22.01.2026 तक पीएमएवाई-यू 2.0 सहित पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र में, विशेष रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और पुणे क्षेत्रों में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की कुल संख्या का विवरण अनुलग्नक में है

पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था। मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए सीएलएसएस 31.03.2021 को समाप्त हो चुका और

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी) के लिए सीएलएसएस 31.03.2022 को समाप्त हो गया। महाराष्ट्र में सीएलएसएस के तहत कुल 6.5 लाख लाभार्थियों ने ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है, जिसमें मुंबई क्षेत्र में लगभग 2.4 लाख लाभार्थी शामिल हैं।

(ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-यू की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) की शुरुआत की थी। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र सरकार से एआरएचसी के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ): पीएमएवाई-यू के आईएसएसआर घटक के तहत, मुंबई क्षेत्र में कुल 1.25 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से अब तक 1.24 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ङ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत, आवासों के तेज और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा के लिए एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की स्थापना की गई थी। प्रौद्योगिकी उप-मिशन विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को तैयार करने और अपनाने हेतु सुविधा प्रदान करता है। यह राज्यों/शहरों को आपदा प्रतिरोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को का प्रयोग में भी सहायता करता है। टीएसएम की प्रगति के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) देश में सुस्थिर आवासन के लिए नवीन डिज़ाइन और निर्माण पद्धतियों में सहायता करता है, गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देता है और हरित भवन मानकों को अपनाता है। टीआईएसएम आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को मुख्य रूप से अपनाए जाने के लिए नियामक और प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय के माध्यम से भू-जलवायु-उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है। मिशन के तहत परियोजनाएं थर्मल कम्फर्ट बढ़ाने, ऊर्जा की खपत को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए मौजूदा हरित भवन मानदंडों के अनुरूप संसाधन-कुशल, जलवायु-उत्तरदायी, आपदा-प्रतिरोधी और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं।

******

दिनांक 05-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू 2.0 सहित पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र में, विशेष रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और पुणे क्षेत्रों में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की कुल संख्या का विवरण

राज्य क्षेत्र जिला			आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)			सीएलएसएस लाभार्थी*
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	निर्माण कार्य पूर्ण	
महाराष्ट्र			12,78,999	11,75,695	10,43,061	6,25,050
मुंबई महानगर क्षेत्र	जिला	मुंबई उपनगरीय	1,41,600	1,41,600	1,41,600	15,321
		पालघर	49,684	49,502	43,002	40,153
		रायगढ़	61,006	58,901	48,056	41,040
		ठाणे	1,97,089	1,90,383	1,75,127	1,43,041
पुणे क्षेत्र	जिला	कोल्हापुर	14,255	13,617	13,156	9,844
		पुणे	2,35,025	2,13,031	2,07,813	1,61,912
		सांगली	11,592	10,665	9,727	5,362
		सतारा	18,727	14,277	12,342	9,710
		सोलापुर	56,095	54,808	32,327	6,624

* स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की कुल संख्या में सीएलएसएस लाभाथयों की संख्या शामिल है।